न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 19/2021 RCMS 2021/120

वादी

1. पुसादास चेला उदादास पुत्र सांवलदास जाति जाट नि. अड़कसर तहसील कुचामनसिटी तहसील जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

दावा– बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955

उपस्थित :– श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से।
तहसीलदार कुचामनसिटी प्रतिवादी

निर्णय

दिनॉक :– 4.7.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम दौलतपुरा पटवार मण्डल अड़कसर तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 168 रकबा 4.10 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय की भूमि उदादास चेला गिरधारीदास जाति स्वामी निवासी अड़कसर के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही है, उदादास चेला गिरधारीदास का देहान्त दिनॉक 01.01.2014 को हो चुका है जिसके उपरान्त अखिल भारतीय सांगलिया धुणी के पीठाधीश्वर श्री बंशीदास जी महाराज व समस्त ग्रामवासी व सांगलिया सम्प्रदाय द्वारा वादी को चेला (महन्त) घोषित किया गया है,उक्त भूमि अखिल भारतीय सांगलिया धुणी के अधीन है जो कि समाज सेवाथ्र परमार्थ का कार्य व गौ रक्षा संबंधी कार्य करती है जिससे परमार्थ के कार्यो में उक्त संस्था का लगातार कई वर्षो से चला आ रहा है। उक्त भूमि उदादास चेला गिरधारीदास के नाम दर्ज है जिससे उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कोई विकास कार्य निर्माण ट्यूब वैल इत्यादि कराने के लिए खातेदार की आवश्यकता होने पर बार–बार संस्था को कष्ट उठाना पड़ रहा है, उक्त खसरा नम्बर की भूमि के नामान्तरकरण दर्ज कराने के संबंध में अखिल भारतीय सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर श्री ओमदासजी महाराज के लेटरपेड पर लिखित नियुक्ति पत्र व ग्राम पंचायत अड़कसर के वर्तमान सरपंच का वारिस प्रमाण

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

पत्र प्रतिवादी के कार्यालय में आवेदन किया तो नामान्तरकण दर्ज करने के संबंध में ना नुकर करने लगे, इस कारण वाद लाना आवश्यक हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि उपरोक्त भूमि में वादी के नाम भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल उपलब्ध है। सावंलदास के चेला पुसादास थे, उक्त भूमि अड़कसर मौजीदास जी बगीची के कब्जे काश्त में चली आ रही है मौजीदास जी बगीची का विधि सम्वत उत्तराधिकार का कानून नही है उत्तराधिकार का नामान्तकरण नही किया जा सकता है, नामान्तरकरण के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर डिक्री जारी करके निस्तारण करवाया जा सकता है।

दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2074–2077 ग्राम दौलतपुरा के खाता सं. 12 खसरा नम्बर 168 रकबा 4.10 हैक्टर बारानी द्वितीय उदादास चेला गिरधारीदास हिस्सा–पूर्ण जाति स्वामी सा. अड़कसर खातेदार दर्ज है, मृत्यु प्रमाण–पत्र 24.01.2014 अनुसार उदादास चेला गिरधारीदास की मृत्यु 01.01.2014 को अड़कसर में होना अंकित है, आधार कार्ड सं. 327374175808 पूसादास पुत्र सांवलदास अड़कसर की छाया प्रति प्रस्तुत की है, अखिल भारतीय सांगलिया धूणी श्री श्री 1008 श्री लक्कड़दास आश्रम सांगलिया सीकर द्वारा जारी पत्र ओमदास पीठाधीश्वर अनुसार उदादास के देवलोक गमन के पश्चात सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर एवं समस्त ग्रामवासी द्वारा श्री पूसादास को अड़कसर धूणी का श्री महंत नियुक्त किया गया है, सरपंच ग्राम पंचायत अड़कसर के द्वारा जारी वारिस प्रमाण–पत्र अनुसार उदादास चेला गिरधारीदास की मृत्यु पश्चात पुसादास को वारिस घोषित किया गया है।

प्रकरण "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " केम्प ग्राम पंचायत अड़कसर में प्रस्तुत हुआ। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यो इत्यादि के अनुसार उदादास चेला गिरधारीदास की मृत्यु पश्चात पूसादास को वारिस घोषित किया गया है तथा उक्त सांगलिया धूणी का पूसादास को श्री महंत नियुक्त किया गया है। जबकि ऐसा कोई

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे साबित हो सके की खातेदार उदादास की वारिस या चेला प्रथा अनुसार वही सक्षम व्यक्ति है। मौखिक साक्ष्य भी ऐसी सामाजिक व्यक्ति या मौजिज व्यक्ति की प्रस्तुत नही की गई है जिससे वादी ही उसका उत्तराधिकारी साबित हो। उत्तराधिकार/वारिस का प्रमाण पत्र किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी होने का प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार वाद वादी साबित नही होने से काबिल खारिज योग्य है।

निर्णय

अतः वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनॉक 5.7.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : **बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)**

राजस्व वाद संख्या 19/2021 **RCMS 2021/120**

वादी

1. पुसादास चेला उदादास पुत्र सांवलदास जाति जाट नि. अड़कसर तहसील कुचामनसिटी तहसील जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

दावा– बाबत घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री बोदूराम चौधरी अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री राज.सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया जाता है।**

निज .... मुबलिग .... बाबत.................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 4......माह 7.............. सन् 2022 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
आफिसर कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।